

पत्रांक 2235 / 6 समंजी०

दिनांक 06 / 11 / 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग, मुनिकीरेती

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत आमसारी- हाडीसेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.295 है० के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/25189/2017

महोदय,

उक्त के कम में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है :-

क्र०सं०	लगाई गई आपत्ति	आपत्तियों का निराकरण
1	FRA Undated	Dated FRA Sheet has been Uploaded. (Photocopy Attached)
2	Check the Tree Detail	The number of total affected trees are 245. Photo copy of the details of the trees which are being affected by the road construction attached herewith .
3	NPV Calculation Sheet Update	Corrected NPV calculation sheet has been uploaded( Photocopy Attached)

(इ० मौ० आरिफ खान)

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
नरेन्द्रनगर

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No---925/26-152

Dated---27/02/17

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.295** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Amsari-Hadisera Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Amsari, Hadisera Gaon** village (s) in **Gaja** tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.295** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(इन्दुवर बौड़ार)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

(Full name and official seal of the District Collector)



## FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No---925/26-152

Dated---27/02/17

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.295 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Executive Engineer Construction Division, P.W.D. Narendra Nagar** (name of user agency) for **Construction of Amsari-Hadisera Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Amsari, Hadisera Gaon** village (s) in Gaja tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure ....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

(इन्दुप्रीत चौधरी)

जिला अभिकारी

(Full name and official seal of the District Collector)

टिहरी गढ़वाल



## OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT TEHRI GARHWAL (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district-level committee of Tehri district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Indudhar Baudai** I.A.S deputy commissioner Tehri Garhwal on dated **27/02/17** at time .....at **Tehri** in which application claiming rights in Tehri area measuring **1.295** hect for the construction of **Amsari-Hadisera Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Narendra Nagar** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; **Tehri**.....

Dated: **27/02/2017**

  
**(इन्दुधर बौड़ाई)**  
**जिला अधिकारी**  
 Deputy Commissioner-cum-Chairman  
 District Level Committee

50

Encl.-01

It is further certified that - Minutes of meeting of Construction of Amsari-Hadisera Motor Road, Length 2.00Km. regarding FRA is as follows:-

Sl.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.295 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Shabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Group and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला प्रमुख सदस्य  
टिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

ग्रामीण वनाधिकारी  
बरेल्लार वन प्रभाग  
मुनि-की-रेठी

(हनुधर बोर्डार)  
Signature  
(Full name and official seal of the District collector)  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

पत्राक- 695/24 (2188 218)

दिनांक- 23-0-2016

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.295 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.295 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 23-0-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मीराज चौहान, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1- | श्री लक्ष्मीराज चौहान उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर           | -अध्यक्ष      |
| 2- | श्री डी०पी० बलूनी उप प्रभागीय वनाधिकारी मुनिकीरेती       | -सदस्य        |
| 3- | श्री शेर सिंह तोमर सहायक समाज कल्याण अधिकारी नरेन्द्रनगर | -सदस्य / सचिव |
| 4- | श्रीमती छटांकी देवी बी०डी०सी० क्षेत्र रौन्देली           | -सदस्य        |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 1.295 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.295 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

  
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-गजा जनपद टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष





उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-गजा जनपद टिहरी गढ़वाल।


(52)

## कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर।

आज दिनांक 23/08/2016 को जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.295 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर	
2	श्री डी०पी० बलूनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती	
3	<del>श्री अविनाश सिंह मरुरिया</del>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर।	
4	श्रीमती छटांकी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य रौन्देली	

  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
(देवप्रयाग)  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 22.06.2016 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग											योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक		
1.	आरक्षित वन भूमि	अदवाणी कक्ष 'सं03	झींगण	Larrea-Cromadellia	31	19	7	11	6	1	—	—	—	—	75	
			बाकली	Anogeissus Latifolia	5	4	4	1	—	—	—	—	—	14		
			मन्दार	Kokat	9	7	3	2	—	—	1	—	—	22		
			रोहणी	Malotus Philipensis	19	17	6	4	1	—	—	—	—	47		
			साल	Shorea Robusta	24	24	11	8	6	1	—	—	—	74		
			बेल	Aegle Marmelos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
			कागू	Holoptelea Integrifolia	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3		
			छतैन	Alstonia Scholaris	—	—	—	—	2	1	—	—	—	3		
			महुआ	Madhuca Longifolia	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2		
			औवला	Embilica	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2		
			भीमल	Grewia Optiva	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
			अमलतास	Dipterocarpaceae	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1		
2.	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00		
3.	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00		
4.	सरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00		
योग - वन भूमि					92	75	33	26	13	04	02	—	—	245		
5.	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00		
योग - नाप भूमि					—	—	—	—	—	—	—	—	—	00		
कुल योग :-														245		

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

रजि. अधिकारी  
वन विभाग  
शिवपुरी रेंज  
मुनिकीरेली भाग  
जिला टिहरी गढ़वाल

उप. प्रमुख वन विभाग  
देवप्रयाग (देउप्रयाग) प्रभाग  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग

प्रमुख वन विभाग  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेली

राजस्व विभाग

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल



अमरापुरी हाडीसेरा प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची-

प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	कुल योग
झींगर	31	19	7	11	6	1	-	75
बाकली	5	4	4	1	-	-	-	14
महुआ	4	7	3	2	-	-	1	22
रोहड़ी	19	17	8	4	1	-	-	47
साठ	24	24	11	0	0	1	-	74
बैल	1	-	-	-	-	-	-	1
काग	1	1	1	-	-	-	-	3
छाँटा	-	-	-	-	-	2	1	3
महुआ	-	1	1	-	-	-	-	2
आमला	-	2	-	-	-	-	-	2
मीम्वर	1	-	-	-	-	-	-	1
अमला	1	-	-	-	-	-	-	1
योग	98	75	39	26	13	4	2	243

(A.K. Sulvani)  
 IE  
 Construction Division  
 PWD Noida

(अरवि कुमार खन्ना)  
 नगरपालिका प्रमुख  
 अमरापुरी

(विजय कुमार)  
 वन आरक्षी  
 अमरापुरी

## प्रारूप-20.1

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेंद्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

## प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास										योग
		10-20	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	92	75	33	26	13	4	2	—	—	—	245
2	सिविल सोयम / नाप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
3	संरक्षित वन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
4	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00
	वन भूमि का योग	92	75	33	26	13	4	2	—	—	—	245
5	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	कुल योग	92	75	33	26	13	4	2	—	—	—	245

रजि. अधिकारी  
शिवपुरी रजि.  
मुनिकीरेती  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग

उपप्रभारी वनाधिकारी  
देवप्रसाद उप वन प्रभाग  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेंद्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती



## प्रारूप-21

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	245	153	मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में आने वाले वृक्ष ही परियोजना से प्रभावित होंगे तथा 0 से 10 व्यास के 92 वृक्षों को अन्यत्र स्थान्तरित (translocate) किया जाना है, फलस्वरूप वास्तविक रूप से 153 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।
2.	सिविल सोयम/नाप	—	—	
3.	वन पंचायत	—	—	
4.	संरक्षित वन	—	—	
	योग :- वन भूमि	245	153	
5.	नाप भूमि	0	0	
	कुल योग :-	245	153	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 245 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 153 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अपर सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नरेन्द्रनगर।

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
नरेन्द्रनगर।

राजि अधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
नरेन्द्रनगर।

उपप्रधानी वन अधिकारी  
देवप्रयाग वन प्रभाग  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग।

प्रधानी वन अधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
नरेन्द्रनगर।

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक ..... को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क स	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास								योग
					10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि												
2.	सिविल सोयम												
3.	वन पचायत												
4.	संरक्षित वन												
	योग - वन भूमि												
5.	नाप भूमि												
	कुल योग -												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

वन संरक्षक  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड  
मुनिकीरेती।

**बाँज के वृक्ष प्रभावित न होने के कारण लागू नहीं।**

अपर सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नरेन्द्रनगर।

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नरेन्द्रनगर।

अधीनस्थ अभियन्ता  
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
नरेन्द्रनगर।

रजि अधिकारी  
वन विभाग, नरेन्द्रनगर  
मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी  
देवप्रयाग (उप-वन) प्रभाग  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती।



परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत अमसारी से हाडीसेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी. - V
2. हरियाली का घनत्व - 0.4 MDP
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे० 8,45,000.00 845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.295 Hec.
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि Rs. 10,94,275.00 10,94,275.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
(देवप्रयाग)  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी  
प्रमुखी वन राशि  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मनि-कुनिदेखती।